अधिसूचना सं0 11/2014-सेवा कर                    नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि.            (अ) केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (मूल्य अवधारण) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये 1 अक्तूबर, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 के नियम 2क के खंड (ii) में उपखंड (आ) और (इ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(आ) उपखंड (अ) के अन्तर्गत न आने वाली संकर्म संविदा की दशा में, जिसमें,--

(i) किसी माल के अनुरक्षण या मरम्मत या अनुकूलक या पुनःस्थापन या संरक्षी सेवा ; या

(ii) अनुरक्षण या मरम्मत या संपूरण और परिसाधन सेवाएं जैसे किसी जंगम संपत्ति के ग्लेजिंग या प्लास्टरिंग या फर्श और दीवार पर टाइल लगाने या विद्युत फिटिंग के संस्थापन,

के लिए की गई संकर्म संविदा भी है, संकर्म संविदा के लिए प्रभारित कुल रकम के सत्तर प्रतिशत पर सेवा कर संदेय होगा ।'

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण** : मूल नियम सा.का.नि. 228(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं0 12/2006-सेवा कर, तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 431(अ), तारीख 6 जून, 2012 द्वारा, अधिसूचना सं. 24/2012-सेवा कर, तारीख 6 जून, 2012 द्वारा, अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।